

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-453/60-3-15-13(12)/15टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-371/60-3-15-13(12)/15टी0सी0, दिनांक 09.03.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु रू0 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुये यह उल्लिखित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति की गयी उक्त धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के खाते में जमा की जायेगी।


3. उपरिवर्णित शासनदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

नन्दलाल प्रसाद
उप सचिव।

संख्या-453 (1)/60-3-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।